हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट स्तर की मान्यता –

3– (क) किसी संस्था द्वारा हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट के द्वि–वार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में दिया जायेगा जो सम्यक रूप से वांछित प्रमाण पत्रों सहित भरा जायेगा और सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष / प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस वर्ष के जिसमें कक्षाओं को खोलने का प्रस्ताव हो के पूर्ववर्ती वर्ष की 31 जुलाई तक बिना विलम्ब शुल्क के सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा शुल्क के कोष पत्र की छाया प्रति सहित दो प्रतियों में अवश्य पहुँच जाना चाहिए। आवेदन पत्र की एक प्रति कोष पत्र की मूल प्रति सहित परिषद् सचिव को भेजी जानी चाहिए।

(ख)- मान्यता प्रदान किये जाने के लिए कोई आवेदन पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके साथ राज्य कोषागार में आवेदन शुल्क जो निम्नलिखित होगा, जमा किये जाने के साक्ष्य स्वरूप मूल कोषागार चालान न लगा हो।

आवेदन शुल्क निम्नांकित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगा–

"0202– शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति

01– सामान्य शिक्षा

102– माध्यमिक शिक्षा

10– मान्यता शुल्क"

इण्टर मान्यता हेतु सामान्य एवं अनिवार्य शर्तें–

मान्यता हेतु आवेदन करने के लिये विनियम 3, 4, एवं 5, अध्याय 7 में निम्न व्यवस्था है :–

3. (क) किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र में दिया जायेगा। जो सम्यक रूप से वांच्छित प्रमाण–पत्रों सहित भरा जायेगा और सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/प्रवन्धक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस वर्ष के जिसमें कक्षाओं के खोलने का प्रस्ताव हो के पूर्ववर्ती वर्ष की 31 जुलाय तक परिषद के सचिव के पास अवश्य पहुँच जाना चाहिए। आवेदन पत्र की दो प्रतियां में सम्बद्ध संस्था द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

(ख) मान्यता प्रदान किये जाने के लिये कोई आवेदन पत्र ग्रहण नही किया जायेगा जव तक उसके साथ सरकारी कोषागार में आवेदन शुल्क जो निम्नलिखित होगा जमा किये जाने के साक्ष्य स्वरूप मूल कोषागार चालान न लगा हो।

(एक) प्रथम बार इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये मान्यता के निमित 10,000 रू0

(दो) इण्टरमीडिएट परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग में मान्यता के निमित्त 5,000 रू0

(तीन) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए वन टाइम मान्यता के निमित्त 10,000 रू0 प्रति वर्ग

(चार) 2,500 रू0 प्रति विषय न्यूनतम 5,000 रू0

(ग) 31 जुलाई के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को केवल कलेंडर मास या उसके भाग के लिये 1000रू0 का विलम्ब शुल्क का भुगतान करने पर ही ग्रहण किया जाएगा किन्तु 31 अक्टूवर के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को किसी भी स्थिति में ग्रहण नही किया जायेगा ।

(घ) अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन –पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(ड) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं को आवेदन शुल्क या विलम्ब शुल्क से छूट रहेगी।

4. (क) विनियम 3 के खण्ड (क) के अधीन मान्यता के लिए आवेदन–पत्र की दो प्रतियां प्राप्त होने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ऐसी स्थलीय जांच करने के पश्चात जिसे वह उचित समझे आवेदन पत्र की एक प्रति पर मान्यता के लिए संस्था की उपयुक्तता के संम्बन्ध में 31 अक्टूवर तक प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर अपनी आख्या दे कर संस्तुति करेगा और उसे परिषद के सचिव के पास भेजेगा ।आवेदन –पत्र की अन्य प्रति अपने कार्यालय के अभिलेख के लिये सुरक्षित रखेगा।

(ख) मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हीं संस्थाओं के आवेदन –पत्र स्वीकार किये जायेंगे जो परिषद के विनियम/मानक/शर्तों के प्राविधानों के अनुसार पूरित होंगे तथा जिनके साथ संस्था के प्रवन्धक द्वारा दिया गया शपथ पत्र संलग्न होगा। अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण अथवा मानक के बिपरीत भरे गये आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नही किये जायेंगे।

(ग) मान्यता समिति के समक्ष मान्यता प्रदान करने के लिये कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व निदेशक या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी, जो मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक से अनिम्न पद का न होगा, जहॉ आवश्यक हो , मान्यता प्रदान करने के लिये संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अपनी आख्या दे सकता है, और संस्तुति कर सकता है।

5. मान्यता के लिए आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण, साक्ष्य सहित विस्तार से रहेंगे, जिन पर निरीक्षण प्राधिकारी अपनी आख्या एवं संस्तुति देंगे।

(क)– जिस विकास खण्ड में विद्यालय खोलने हेतु मान्यता का आवेदन प्राप्त हुआ है उस विकास खण्ड के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों की संख्या।

(ख)–प्रशासन योजना

(ग)–प्रवन्धक/मंत्री अथवा पत्र व्यवहार करने वाले व्यक्ति का नाम जैसी स्थिति हो ।

(ध)–परीक्षा अथवा परीक्षायें जिसके लिए मान्यता अपेक्षित है।

(ड)–शिक्षण के वर्ग/ विषय अथवा विषयों के नाम संस्था जिनकी व्यवस्था करनी चाहती है।

(च)–विद्यालय हेतु उपलब्ध भूमि/ भवन अथवा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/भवन/क्रीडा स्थल विद्यालय के नाम होने का नीजी स्वामित्व के संम्बन्ध में रजिस्ट्री तथा खतोनी की प्रमाणित छाया प्रति अथवा परगनाधिकारी/तहसीलदार का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ज)–प्राभूत कोष तथा सुरक्षित कोष यथा निर्दिष्ट जमा एवं बन्धक होने का प्रमाण।

(झ)–प्रत्येक कक्षा तथा कक्षा के खण्डों की छात्र संख्या।

(ञ)–मानक के अनुसार साज–सज्जा उपकरण तथा पुस्तकालय की व्यवस्था।
(ट)–मान्यता हेतु आवेदन करने वाले सस्था के पास भवन के चारों ओर चहारदिवारी होना आवश्यक होगा।
(ठ)–सस्था के वित्तीय स्थिति एवं आय के श्रोत एवं धनराशि।
(ड)–मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था द्वारा विद्यालयी शिक्षा अधिनियम–2006 की धारा 12(1) के प्राविधानों को पूर्णतया अंगीकार करने तथा विद्यालय में पठन पाठन हेतु विभाग की व्यवस्था स्वयं करनें का प्रवन्ध समिति का प्रस्ताव।
(ढ)–इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु विगत दो वर्षों का हाईस्कूल का परीक्षाफल जिसमें सम्मिलित एवं उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत संलग्न करना अनिवार्य होगा। उसी प्रकार इण्टरमीडिएट अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता हेतु विद्यालय के विगत दो वर्षो का इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्षवार पृथक–2 परीक्षाफल दिया जाना आवश्यक होगा।
(ण)–मुख्य शिक्षा अधिकारी नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा निरीक्षण के समय चारों दिशाओं के सम्मुख खड़े होकर फोटो खिंचवायेगा जिसकी प्रति निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न की जायेगी । निरीक्षण के समय संस्था की चहारदीवारी की फोटो भी ली जाएगी।
(त)–मुख्य शिक्षा अधिकारी यह भी आख्या स्पष्ट रूप में देंगे कि मान्यता हेतु आवेदन करने वाली सस्था की वित्तीय स्थिति संस्था के संचालन हेतु पर्याप्त है अथवा नहीं।
(थ)–संस्था के प्रवन्धक द्वारा आवेदन पत्र के साथ **विनियम 5(16) के अनुसार निम्नांकित प्रारूप में दस रूपये के स्टैम्प पेपर पर एक शपथ–पत्र दिया जाना होगा।**

"मैं (पूरा नाम)..... आत्मज/आत्माज..... प्रबन्धक,विद्यालय का नाम ..... शपथ पूर्वक प्रमाणित करता/करती हूँ कि संस्था को..... की वित्त विहीन मान्यता प्रदान करने हेतु मेरे द्वारा जो भी साक्ष्य/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, वे सभी सत्य है। संस्था का प्रयोग छात्रों के नियमित पठन–पाठन के लिए ही किया जायेगा तथा मान्यता प्राप्त होने पर विभाग/परिषद के निर्देशों/विनियमों का पालन किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों अथवा आवेदन पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर परिषद्/शासन द्वारा प्रदत्त की गयी मान्यता को प्रत्याहरित किया जा सकता है तथा मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्राविधानों के अन्तर्गत जो विधिक कार्यवाही की जायेगी मुझे मान्य होगी।

ह0 प्रबन्धक
संस्था का पूरा नाम तथा पता

6–कोई अन्य सूचना जो परिषद आवेदन पत्र के संम्बन्ध में मांगे, संस्था मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से परिषद को प्रस्तुत करेगी।
7–मुख्य शिक्षा अधिकारी अपनी आख्या प्रेषित करते समय यह स्पष्ट उल्लेख करेगा कि उसके विचार से संस्था को मान्यता दी जाय अथवा नही । साथ ही आख्या में यह भी उल्लेख करना होगा कि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का है अथवा शहरी क्षेत्र या टाउन एरिया का है। निरीक्षण अधिकारी आख्या के प्रत्येक पृष्ट पर हस्ताक्षर करेंगे।
8–सस्थाओं को मान्यता केवल हिन्दी माध्यम से शिक्षण हेतु प्रदत्त की जायेगी।
9–किसी भी संस्था को सीधे कक्षा 11 व 12 की मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

परिषदीय परीक्षाओं के प्रयोजन हेतु विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मानक/शर्ते निर्धारित की गयी है। :–

इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग (केवल छः विषयों में) तथा अतिरिक्त विषय हेतु

(क) अनिवार्य शर्ते :–

1. पंजीकरण :– समिति/सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा आतिथि नवीनीकृत होनी चाहिए।

2. हाईस्कूल को मान्यता की अनिवार्य शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो का पूर्ण होना आवश्यक होगा।

भवन :–

(क) प्रत्येक वर्ग के लिए (कक्षा 11 व 12 के लिए) 8X6 मी0 या 48 वर्ग मी0 माप के दो शिक्षण कक्ष होने आवश्यक होंगे। बालिका विद्यालयों के लिए कक्षा कक्षों की माप 6X6 मी0 या 36 मी0 मान्य होगी।

(ख) 5X6 मी0 या 30 वर्ग मी0 का एक वैकल्पिक कक्ष होना आवश्यक होगा।

(ग) 9X6 मी0 या 54 वर्ग मी0 माप की प्रयोगशाला प्रत्येक प्रयोगशाला विषय हेतु होना आवश्यक होगा।

(ध) कृषि वर्ग हेतु 1 एकड़ कृषि योग्य भूमि केवल विद्यालय के नाम पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

(ङ.) विज्ञान एवं कृषि वर्ग हेतु प्रयोगशालायें कामन होगी।

3. प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोष इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु प्राभूत कोष रू0 10000/– तथा सुरक्षित कोष रू0 5000/– (हाईस्कूल के अतिरिक्त) विद्यालय के नाम जमा एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद नाम में बन्धक होना अनिवार्य है।

4. परीक्षाफल गत दो वर्षो का हाईस्कूल का परीक्षाफल का औसत 50 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम न हो तथा यदि मान्यता इण्टर अतिरिक्त वर्ग में आवेदित हो तो इण्टर स्तर पर मान्य सभी वर्गो को मिलाकर (हाईस्कूल के अतिरिक्त) औसत परीक्षाफल 50 प्रतिशत से कम न होगा। यह परीक्षाफल हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट में पृथक–पृथक केवल संस्थागत सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के आधार पर आगणित किया जायेगा।

नोट :– उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

(ख) सामान्य शर्ते :–

1. छात्र संख्या– इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु हाईस्कूल के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र संख्या 150 होना आवश्यक होगा।
2. शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प, पाइप लाइन या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।
3. काष्ठोपकरण– कक्षा 11 व 12 के प्रत्येक वर्ग के लिए 80 सेट सज्जा हाईस्कूल के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिए। वैज्ञानिक वर्ग के प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए तीन–तीन प्रयोगात्मक मेजें होना आवश्यक होगा।
4. पुस्तकालय– इण्टरमीडिएट स्तर के 5000/– रू0 मूल्य की पुस्तकें (पाठ्य पुस्तकों से इतर) प्रत्येक वर्ग के लिए होना आवश्यक होगा।
5. सामान्य शिक्षण सामग्री :– इण्टरमीडिएट स्तर हेतु 2000/– रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री होना आवश्यक होगा।
6. विज्ञान उपकरण :– इण्टरमीडिएट वज्ञौनिक वर्ग हेतु 25000/– रू0 मूल्य के विज्ञान उपकरण होना आवश्यक होगा।
7. गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री :– इण्टरमीडिएट स्तर हेतु रू0 5000/– मूल्य की गृह विज्ञान सामग्री होना आवश्यक होगा।
8. कृषि उपकरण :– इण्टरमीडिएट कृषि हेतु रू0 10000/– मूल्य के उपकरण/कृषि यंत्रादि होने आवश्यक होंगे।
9. 9X6 मी0 का कम्प्यूटर कक्ष जिसमें पांच कम्प्यूटर स्थापित हों। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।

नोट :– इण्टरमीडिएट अतिरिक्त विषय/विषयों में मान्यता हेतु भूमि के स्वामित्व, प्राभूत एवं सुरक्षित कोष के साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

(ग) इण्टरमीडिएट नवीन (वन टाइम) हेतु (मानविकी, वैज्ञानिक, वाणिज्य एवं कृषि वर्ग)

अनिवार्य शर्ते :–

1. पंजीकरण :– समिति/सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा आतिथि नवीनीकृत होनी चाहिए।
2. हाईस्कूल को मान्यता की अनिवार्य शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक होगा :–

भवन :–

क– 8X6 मी0 या 48 वर्ग मी0 माप के दो शिक्षण कक्ष बालिका विद्यालयों के लिए 6X6 मी0 या 36 वर्ग मी0 माप के शिक्षण कक्ष मान्य होंगे।

(ख) 6X5 मी0 या 30 वर्ग मी0 माप का एक वैकल्पिक कक्ष होना आवश्यक होगा।

(ग) 6X5 मी0 या 30 वर्ग मी0 माप का एक नृत्य कला कक्ष। संगीत विषय की मान्यता के लिए।

(ध) 6X5 मी0 या 30 वर्ग मी0 माप का एक कला कक्ष। कला विषय की मान्यता के लिए।

(ड.) 9X6 मी0 या 54 वर्ग मी0 माप की गृह विज्ञान, भूगोल, सैन्य विज्ञान, काष्ठ शिल्प, ग्रन्थ शिल्प तथा चर्म शिल्प आदि के लिए एक प्रयोगशाला अलग–अलग होना आवश्यक होगा।

(च) 9X6 मी0 या 54 वर्ग मी0 माप का एक कम्प्यूटर कक्ष जिसमें 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित विद्युत व्यवस्था जनरेटर सहित होना अनिवार्य है। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।

3. प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, परीक्षाफल, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध–इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होंगे।

नोट :– उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्ते :–

1. काष्ठोपकरण– कक्षा 11 व 12 के प्रत्येक वर्ग के लिए 80 सेट सज्जा हाईस्कूल के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिए।
2. शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प, पाइप लाइन या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।
3. पुस्तकालय– इण्टरमीडिएट स्तर के 5000/– रू0 मूल्य की पुस्तकें (पाठ्य पुस्तकों से इतर) होना आवश्यक होगा।
4. सामान्य शिक्षण सामग्री :– 2000/– रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।
5. गृह विज्ञान भूगोल, सैन्य विज्ञान, काष्ठ शिल्प, ग्रन्थ शिल्प तथा चर्म शिल्प – प्रत्येक विषय के लिए रू0 5000/– मूल्य की शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

वैज्ञानिक वर्ग

अनिवार्य शर्ते :–

4. पंजीकरण :– समिति/सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा आतिथि नवीनीकृत होनी चाहिए।
5. हाईस्कूल को मान्यता की अनिवार्य शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा :–

भवन :–

क– 8X6 मी0 या 48 वर्ग मी0 माप के दो शिक्षण कक्ष बालिका विद्यालयों के लिए 6X6 मी0 या 36 वर्ग मी0 माप के शिक्षण कक्ष मान्य होंगे।

(ख) 6X5 मी0 या 30 वर्ग मी0 माप का एक वैकल्पिक कक्ष होना आवश्यक होगा।

(ग) 9X6 मी0 या 54 वर्ग मी0 माप की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर, विद्युत अभियंत्रण के तत्व/यांत्रिक अभियंत्रण के तत्व आदि के लिए अलग–अलग प्रयोगशालायें होना अनिवार्य होगा। साथ ही 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित व्यवस्था जनरेटर सहित होना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी। प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, परीक्षाफल, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होंगे।

नोट :– उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्ते :–

1. काष्ठोपकरण पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होंगे।
2. शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प, पाइप लाइन या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।
3. विज्ञान उपकरण हेतु 25000/– रू0 मूल्य का वैज्ञानिक उपकरण होना आवश्यक होगा।

4. प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए तीन प्रयोगात्मक मेजें होना आवश्यक है।

वाणिज्य वर्ग :–

अनिवार्य शर्ते :–

1. **पंजीकरण** :– समिति/सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा आतिथि नवीनीकृत होनी चाहिए।
2. हाईस्कूल को मान्यता की अनिवार्य शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा :–

भवन :–

(क) 8X6 मी0 या 48 वर्ग मी0 माप के दो शिक्षण कक्ष बालिका विद्यालयों के लिए 6X6 मी0 या 36 वर्ग मी0 माप के शिक्षण कक्ष मान्य होंगे।

(ख) 6X5 मी0 या 30 वर्ग मी0 माप का एक वैकल्पिक कक्ष होना आवश्यक होगा।

(ग) 9X6 मी0 या 54 वर्ग मी0 का एक कम्प्यूटर कक्ष अनिवार्य होगा। साथ ही 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित विद्युत व्यवस्था जनरेटर सहित होना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।

(दो) प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, परीक्षाफल, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/ अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होंगे।

नोट :– उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्ते :–

3. काष्ठोपकरण पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होंगे।
4. शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प, पाइप लाइन या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।

कृषि वर्ग :–

अनिवार्य शर्ते :–

1. **पंजीकरण** :– समिति/सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा आतिथि नवीनीकृत होनी चाहिए।
2. हाईस्कूल को मान्यता की अनिवार्य शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा :–

भवन :–

1– 8X6 मी0 या 48 वर्ग मी0 माप के दो शिक्षण कक्ष, बालिका विद्यालयों के लिए 6X6 मी0 या 36 वर्ग मी0 माप के शिक्षण कक्ष मान्य होंगे।

2– 5X6 मी0 या 30 वर्ग मी0 का एक वैकल्पिक कक्ष होना आवश्यक होगा।

3– 9X6 मी0 या 54 वर्ग मी0 माप की प्रयोगशाला प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु

4– 8X6 मी0 या 48 वर्ग मी0 माप का एक कृषि कक्ष।

5– सिंचाई के साधनों से युक्त कृषि योग्य उपजाऊ भूमि न्यूनतम एक एकड़।

(दो) प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, परीक्षाफल, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होंगे।

नोट :– उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्ते :–

1. काष्ठोपकरण पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होंगे।
2. शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प, पाइप लाइन या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।
3. कृषि के उपकरण एवं यंत्रादि हेतु 10000/– तथा वैज्ञानिक सामग्री एवं पशुशाला आदि के लिए 2500/– मूल्य के संसाधन होने आवश्यक होंगे।
4. प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए तीन प्रयोगात्मक मेजें होनी आवश्यक होगी।

कम्प्यूटर विषय की मान्यता हेतु मानक (हाईस्कूल/इण्टर)

1. प्रयोगशाला में एक मशीन पर दो से ज्यादा छात्र कार्य नहीं करेंगे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मशीनों की संख्या उसी आधार पर निश्चित की जाय।
2. प्रयोगशाला में न्यूनतम व्यवस्था अनिवार्य रूप से निम्नवत् होगी :–

(क) प्रति विद्यालय 5 कम्प्यूटर (P) मशीन।

(ख) एक DMP (132 कालम)।

(ग) UPS प्रति मशीन 500 VA के आधार पर होना आवश्यक है।

(घ) पाठ्यक्रम के अनुसार साफ्टवेयर की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है,

जैसे–हाईस्कूल के लिए विन्डोज MS office G.W. basic इण्टरमीडिएट के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त Tarbsc, c++

(ड.) प्रयोगशाला के लिए प्रति मशीन के लिए न्यूनतम 2.5 वर्ग मीटर का स्थान विद्यालय में होना अनिवार्य है। प्रयोगशाला साफ सुथरी एवं पक्के कमरे में हो।

(च) प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त विद्युत एवं जनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य है।

(छ) प्रति कम्प्यूटर मशीन पर कार्य करने हेतु एक मेज तथा दो कुर्सी की आवश्यकता होगी।

3. छात्र संख्या के आधार पर उपर्युक्त व्यवस्थाओं में आनुपातिक वृद्धि किया जाना चाहिए।

परिषदीय परीक्षाओं के प्रयोजन हेतु विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिये निम्नलिखित शर्ते/मानक निर्धारित किये गये हैं :–

(अ) हाईस्कूल नवीन की मान्यता वन टाइम हेतु

(क) अनिवार्य शर्ते–

1. पंजीकरण– समिति का पंजीकृत तथा आतिथि नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
2. प्रशासन योजना– विद्यालय की प्रशासन योजना सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है, शासनादेश संख्या–61/xxiv–4/1(3)2010 दिनांक 06 जून, 2013 के अनुसार स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए प्रशासन योजना से छूट रहेगी।
3. प्राभूत कोष– प्राभूत कोष के रूप में 20,000/– रू0 केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बन्धक होना अनिवार्य होगा। नये विद्यालय की मान्यता हेतु प्राभूत कोष अचल सम्पत्ति के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।
4. सुरक्षित कोष– सुरक्षित कोष के रूप में 10,000/– रू0 केवल विद्यालय के नाम जमा तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी के पदनाम में बन्धक होना अनिवार्य होगा।
5. भवन– संस्था के पास भवन के लिए निम्नलिखित माप के पके कक्ष होंगे :–

(क) 8X6 मी0 या 48 वर्ग मी0 के पांच शिक्षण कक्ष (जूनियर हाईस्कूल की कक्षाओं सहित), (बालिका विद्यालयों में 6X6 मी0 या 36 वर्ग मी0 माप के शिक्षण कक्ष विशेष परिस्थिति में मान्य होंगे)।

(ख) 6X5 मी0 या 30 वर्ग मी0 के एक कक्ष वैकल्पिक विषय हेतु।

(ग) 4X3 मी0 माप के दो प्राशसकीय कक्ष।

(ध) 9X6 मी0 माप के विज्ञान एवं गृह विज्ञान हेतु अलग–अलग प्रयोगशाला कक्ष। जूनियर स्तर पर 9X6 मी0 माप की एक प्रयोगशाला अलग से होना आश्यक होगा।

(ड.) 6X5 मी0 या 30 वर्ग मी0 माप का संगीत, सिलाई, कला, कृषि तथा वाणिज्य आदि के लिए एक कामन कक्ष होना अनिवार्य है।

(च) 8X6 मी0 या 48 वर्ग मी0 माप का पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय हेतु एक कक्ष।

भूमि– विद्यालय के नाम जिस पर भवन बना हो उसका विवरण निम्नवत है :–

1. शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एरिया) में 1000 वर्ग मी0 अथवा चौथाई एकड़ तथा
2. ग्रामीण क्षेत्र में शासनादेश संख्या–61/xxiv–4/1(3)2010 दिनांक 06 जून, 2013 के अनुसार 2000 वर्ग मी0 (आधा एकड़) भूमि विद्यालय के नाम होना अनिवार्य है अथवा विद्यालय के नाम 30 वर्ष की पंजीकृत लीज डीड तथा नजूल भूमि के मामले में भूमि विद्यालय के निजी स्वामित्व का प्रमाण पत्र परगनाधिकारी/तहसीलदार/अपर तहसीलदार द्वारा प्रदत्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।)

भूमि विद्यालय के प्रबन्धक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम होने पर मान्य नहीं होगी।

कीड़ास्थल :– शहरी क्षेत्र के लिए एक बालीवाल खेलने हेतु मैदान (162 वर्ग मी0 से कम का न होगा) तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 648 वर्ग मी0 का मैदान होना अनिवार्य होगा।

कीड़ास्थल विद्यालय परिसर में होना आवश्यक है।

6. आवेदन शुल्क – मान्यता हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क का मूल कोष पत्र संलग्न होना आवश्यक होगा।

(ख) सामान्य शर्ते :

1. काष्ठोपकरण– 80 सेट सज्जा होना अनिवार्य होगा तथा यह व्यवस्था जूनियर कक्षाओं के अतिरिक्त होगी।
2. शौचालय एवं पीने के पानी के लिए हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।
3. पुस्तकालय– 3000/– रू0 मूल्य के हाईस्कूल स्तरीय पुस्तकों (पाठ्य पुस्तकों से इतर) का होना आवश्यक होगा।
4. सामान्य शिक्षण सामग्री : जूनियर कक्षाओं के अतिरिक्त हाईस्कूल स्तरीय 2000/– रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री होना आवश्यक होगा।
5. विज्ञान शिक्षण सामग्री : जूनियर कक्षाओं के अतिरिक्त हाईस्कूल स्तरीय 20,000/– रू0 की वैज्ञानिक यंत्रादि/उपकरण होना आवश्यक है।
6. गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री : रू0 5000/– मूल्य की गृह विज्ञान सामग्री होना आवश्यक होगा।

क्रमशः 2

7. संगीत, कृषि एवं सिलाई विषय के उपकरण : रू0 5000/– मूल्य के उपकरण होने आवश्यक होंगे।
8. छात्र संख्या : जूनियर स्तर पर स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा–6,7,8 में कम से कम 135 छात्र होने आवश्यक होंगे। (बालिका विद्यालयों में यह संख्या 75 से कम न होगी)।

टिप्पणी :–

1. पुस्तकालय सामान्य शिक्षण सामग्री, विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि एवं सिलाई विषय हेतु सामग्री/उपकरण का सत्यापन निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा अथवा इतनी ही धनराशि अलग–अलग मद में केवल विद्यालय के नाम जमा एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी के पदनाम में प्रतिश्रुत होने पर स्वीकार होगा।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के निरीक्षणोपरान्त लगाये गये समस्त प्रमाण मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं प्रमाणित होना अनिवार्य होगा।

कम्प्यूटर विषय की मान्यता हेतु मानक (हाईस्कूल/इण्टर)

3. प्रयोगशाला में एक मशीन पर दो से ज्यादा छात्र कार्य नहीं करेंगे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मशीनों की संख्या उसी आधार पर निश्चित की जाय।
4. प्रयोगशाला में न्यूनतम व्यवस्था अनिवार्य रूप से निम्नवत् होगी :–

(क) प्रति विद्यालय 5 कम्प्यूटर (P) मशीन।

(ख) एक DMP (132 कालम)।

(ग) UPS प्रति मशीन 500 VA के आधार पर होना आवश्यक है।

(घ) पाठ्यक्रम के अनुसार साफटवेयर की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है,

जैसे– हाईस्कूल के लिए विन्डोज MS office G.W. basic इण्टरमीडिएट के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त Tarbsc, c++

(ड.) प्रयोगशाला के लिए प्रति मशीन के लिए न्यूनतम 2.5 वर्ग मीटर का स्थान विद्यालय में होना अनिवार्य है। प्रयोगशाला साफ सुथरी एवं पक्के कमरे में हो।

(च) प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त विद्युत एवं जनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य है।

(छ) प्रति कम्प्यूटर मशीन पर कार्य करने हेतु एक मेज तथा दो कुर्सी की आवश्यकता होगी।

3. छात्र संख्या के आधार पर उपर्युक्त व्यवस्थाओं में आनुपातिक वृद्वि किया जाना चाहिए।

मान्यता हेतु आवेदन करने के लिये विनियम 3, 4, एवं 5, अध्याय–सात में निम्न व्यवस्था है :–

3. **(क)** किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र में दिया जायेगा। जो सम्यकरूप से वांच्छित प्रामाण–पत्रों सहित भरा जायेगा और सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/प्रवन्धक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस वर्ष के जिसमें कक्षाओं के खोलने का प्रस्ताव हो के पूर्वपर्ती वर्ष की 31 जुलाय तक बिना विलम्ब शुल्क के दो प्रतियों में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा शुल्क की कोष–पत्र की छाया प्रति सहित भेजी जानी चाहिए तथा आवेदन पत्र की एक प्रति कोष पत्र की मूल प्रति सहित परिषद् सचिव को भेजी जानी चाहिए।

(ख) मान्यता प्रदान किये जाने के लिये कोई आवेदन पत्र ग्रहण नही किया जायेगा जब तक उसके साथ सरकारी कोषागार में आवेदन शुल्क जो निम्नलिखित होगा जमा किये जाने के साक्ष्य स्वरूप मूल कोषागार चालान न लगा हो।

(एक) प्रथम बार हाईस्कूल परीक्षा के लिये मान्यता के निमित– 10,000 रू0

(ग) 31 जुलाई के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को केवल कलेंडर मास या उसके भाग के लिये 1000रू0 का विलम्ब शुल्क का भुगतान करने पर ही ग्रहण किया जाएगा किन्तु 31 अक्टूवर के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(घ) अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन –पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(ड.) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं को आवेदन शुल्क या विलम्ब शुल्क से छूट रहेगी।

(च) किसी जूनियर हाईस्कूल को हाईस्कूल के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी जब तक उसे जू0हाईस्कूल के रूप में स्थाई रूप में मान्यता प्राप्त न हुयी हो और प्रस्तावित हाईस्कूल की प्रशासन योजना निदेशक द्वारा अनुमोदन न हुई हो।

(छ) केवल कक्षा 9व10 की मान्यता किसी भी संस्था को प्रदान नही की जायेगी।

4(क) विनियम 3 के खण्ड (क) के अधीन मान्यता के लिए अवेदन–पत्र की दो प्रतियां प्राप्त होने पर

कृपया 2

निरीक्षक एसी जांच करने के पश्चात जिसे वह उचित समझे आवेदन पत्र की एक प्रति पर मान्यता के लिए संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में 31 अक्टूबर तक प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर अपनी आख्या दे कर संस्तुति करेगा और उसे परिषद् के सचिव के पास भेजेगा। आवेदन–पत्र की अन्य प्रति अपने कार्यालय के अभिलेख के लिये सुरक्षित रखेगा।

(ख) मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हीं संस्थाओं के आवेदन –पत्र स्वीकार किये जायेंगे जो परिषद के विनियम/मानक/शर्तों के प्राविधानों के अनुसार पूरित होंगे। तथा जिनके साथ
संस्था के प्रवन्धक द्वारा दिया गया शपथ पत्र संलग्न होगा। अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण अथवा मानक के बिपरीत भरे गये आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नही किये जायेंगे।

5. मान्यता के लिए आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण साक्ष्य सहित विस्तार से रहेंगे, जिन पर निरीक्षण प्राधिकारी अपनी आख्या एवं संस्तुति देंगे।

(क)–जिस विकास खण्ड में विद्यालय खोलने हेतु मान्यता का आवेदन प्राप्त हुआ है उस विकास खण्ड के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों की संख्या।

(ख)–प्रशासन योजना

(ग)–प्रवन्धक अथवा पत्र व्यवहार करने वाले व्यक्ति का नाम जैसी स्थिति हो ।

(घ)–परीक्षा अथवा परीक्षायें जिसके लिए मान्यता अपेक्षित है।

(ड.)–शिक्षण के विषयों के नाम संस्था जिनकी व्यवस्था करनी चाहती है।

(च)–विद्यालय हेतु उपलब्ध भूमि/ भवन अथवा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/भवन/क्रीडा स्थल विद्यालय के नाम होने का नीजी स्वामित्व के संम्बन्ध में रजिस्ट्री तथा खतौनी की प्रमाणित छाया प्रति अथवा परगनाधिकारी/तहसीलदार का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ज)–प्राभूत कोष तथा सुरक्षित कोष यथा निर्दिष्ट जमा एवं बन्धक होने का प्रमाण।

(झ)–प्रत्येक कक्षा तथा कक्षा के खण्डों की छात्र संख्या।

(ञ)–मानक के अनुसार साज–सज्जा उपकरण तथा पुस्तकालय की व्यवस्था।

(ट)–मान्यता हेतु आवेदन करने वाले संस्था के पास भवन के चारों ओर चहारदिवारी होना आवश्यक होगा।

(ठ)–सस्था के वित्तीय स्थिति एवं आय के श्रोत एवं धनराशि।

(ड)–मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था द्वारा विद्यालयी शिक्षा अधिनियम–2006 की धारा 12 (1) के प्राविधानों को पूर्णतया अंगीकार करने तथा विद्यालय में पठन पाठन हेतु विभाग की व्यवस्था स्वयं करने का प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव।

(ढ)–मुख्य शिक्षा अधिकारी नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा निरीक्षण के समय चारों दिशाओं के सम्मुख खडे होकर फोटो खिचवायेगा जिसकी प्रति निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न की जायेगी । निरीक्षण के समय संस्था की चहारदीवारी की फोटो भी ली जाएगी।

(ण)–मुख्य शिक्षा अधिकारी यह भी आख्या स्पष्ट रूप में देंगे कि मान्यता हेतु आवेदन करने वाली सस्था की वित्तीय स्थिति संस्था के संचालन हेतु पर्याप्त है अथवा नहीं।

(त)–संस्था के प्रवन्धक द्वारा आवेदन पत्र के साथ **विनियम 5(16) के अनुसार निम्नांकित प्रारूप में दस रूपये के स्टैम्प पेपर पर एक शपथ–पत्र दिया जाना होगा।**

"मैं (पूरा नाम)...
आत्मज/आत्माज...
प्रबन्धक,विद्यालय का नाम ....शपथ पूर्वक प्रमाणित करता/करती हूँ कि संस्था को...की वित्त विहीन मान्यता प्रदान करने हेतु मेरे द्वारा जो भी साक्ष्य/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, वे सभी सत्य है। संस्था का प्रयोग छात्रों के नियमित पठन–पाठन के लिए ही किया जायेगा तथा मान्यता प्राप्त होने पर विभाग/परिषद के निर्देशों/विनियमों का पालन किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों अथवा आवेदन पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर परिषद्/शासन द्वारा प्रदत्त की गयी मान्यता को प्रत्याहरित किया जा सकता है तथा मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता

क्रमशः

1860 के प्राविधानों के अन्तर्गत जो विधिक कार्यवाही की जायेगी मुझे मान्य होगी।

ह0 प्रबन्धक

संस्था का पूरा नाम तथा पता

6. कोई अन्य सूचना जो परिषद आवेदन पत्र के संम्बन्ध में मांगे, सस्था मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से परिषद को प्रस्तुत करेगी।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी अपनी आख्या प्रेषित करते समय यह स्पष्ट उल्लेख करेगा कि उसके विचार से संस्था को मान्यता दी जाय अथवा नहीं । साथ ही आख्या में यह भी उल्लेख करना होगा कि विद्याालय ग्रामीण क्षेत्र का है अथवा शहरी क्षेत्र या टाउन एरिया का है। निरीक्षण अधिकारी आख्या के प्रत्येक पृष्ट पर हस्ताक्षर करेंगे।
8. सस्थाओं को मान्यता केवल हिन्दी माध्यम से शिक्षण हेतु प्रदत्त की जायेगी।